

प्रेषक,

अधिशासी निदेशक  
 उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण  
 सचिवालय परिसर, देहरादून।

सेवा में,

सचिव  
 मा. मुख्यमंत्री  
 उत्तराखण्ड शासन।

यू.एस.डी.एम.ए.

देहरादून:दिनांक: 24 मार्च, 2020

**विषय—** कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण से उत्पन्न स्थिति में जनपदों को मा. मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से धनराशि आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (यू.एस.डी.एम.ए.) के पत्र संख्या—275/USDMA-792(2019) दिनांक 18 मार्च, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से कोरोना वायरस (COVID-19) से उत्पन्न संक्रमण की स्थिति का सामना करने के लिये जनपदों को मा. मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया था।

अवगत करवाना है उक्त पत्र में त्रुटिवश जनपद चमोली का उल्लेख नहीं हो पाया था। उक्त के दृष्टिगत जनपद चमोली के लिये भी मा. मुख्य मंत्री विवेकाधीन कोष से रु. 1.0 करोड़ की धनराशि की व्यवस्था किये जाने का अनुरोध है।

भवदीय,

(पीयूष रातेला)  
अधिशासी निदेशक**संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।**

प्रतिलिपि सचिव (प्रभारी), आपदा प्रबन्धन एवं पुनर्वास, उत्तराखण्ड शासन को सूचनार्थ प्रेषित।

(पीयूष रातेला)

अधिशासी निदेशक